रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1970/कार्तिक 19, 1892

No. 407] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1970/KARTIKA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3713.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Limited, Amritsar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest to do so, hereby grants in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 11th November, 1970, upto the 10th November, 1971 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(10)-IT/70.]

R. K. TALWAR, It. Secy.

औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

का०आ० 3713.—केन्द्रीय सरकार ने वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके इण्डियन एक्सचेंज लिमिटेड, अमृतसर द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने पर, और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 11 नवम्बर, 1970 से 10 नवम्बर, 1971 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की और कालावधि के लिए बिनौले में अग्रिम संविदा की बाबत मान्यता, प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदान की गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जैसा कि वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० फा० 12(10)—आई०टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3714/IDRA/15/70.—Whereas the Central Government is of opinion that there is likely to be a substantial fall in the volume of production in respect of sugar manufactured in the industrial undertaking known as Messrs. H. R. Sugar Factory, Bareilly, for which, having regard to the economic conditions prevailing in the country, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the sugar industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons' consisting of the following persons, namely:—

Convenor

(1) Shri P. K. Ray, Assistant Director, National Sugar Institute, Kanpur.

Members

(2) Shri P. R. Biswas, Cost Accounts Officer, Sugar and Vanaspati Directorate, New Delhi.

(3) Shri G. P. Seth, Acting Cane Commissioner, Government of U.P.

[No. F. 9(28)/Lic.Pol./70.]

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

का० आ० 3714/आई० डी० आर० ए०/15/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि औद्योगिक उपक्रम, जो मैसर्स एच० आर० शुगर फैक्टरी बरेली, के नाम से जाना जाता है, में विनिर्मित चीनी की बाबत उत्पादन की मात्रा में सारवान गिरावट होने की संभावना है और, जिसके लिये देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो चीनी उद्योग और लोक हित के लिए अहितकर है ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1 श्री पी० के० रे, संयोजक
सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर।

2 श्री पी० आर० विश्वास, सदस्य
लागत लेखा अधिकारी,
शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय,
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय,
(खाद्य विभाग), नई दिल्ली।

3 श्री जी० पी० सेठ, सदस्य
कार्यकारी गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

[सं० फ० 9(28)/लिक० पोल०/70]

ORDERS

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3715/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles, manufactured in the industrial undertakings known as Azam Jahi Mills Ltd., Warangal for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Dr. S. Krishnamurthy, Head of Textile Deptt. Algappa College of Technology, Guindy, Madras.

Members

(2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation.

(3) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation.

(4) Shri N. Bhagwandas, Chairman, Azam Jahi Mills Ltd., Warangal.

(5) Shri R. N. Bansal, Registrar of Companies, Company Law Board, Madras.

Member-Secretary

(6) Shri M. Madurai Nayagam, Senior Enforcement Officer, Regional Office of the Textile Commissioner, Coimbatore.

[No. F. 9(22)/Lic.Pol./70.]

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970

का० आ० 3715/15आई०डी०आर०ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आजम जाही मिल्स लि०, वारंगल नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) डा० एस० कृष्णमूर्ति, मुख्य अधिकारी, वस्त्र विभाग, अलगप्पा कालिज आफ टैक्नीलोजी, ग्यूंडी मद्रास।	अध्यक्ष
(2) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन।	सदस्य
(3) श्री के० के० धर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम।	सदस्य
(4) श्री एन० भगवान दास, अध्यक्ष, आजम जाही मिल्स लि०, वारंगल।	सदस्य
(5) श्री आर० एन० बंसल, समवाय पंजीयक, समवाय विधि बोर्ड, मद्रास।	सदस्य
(6) श्री एम० मधुरई नयागम, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर।	

[सं० फा० 9 (22) लिक०पोल०]

S.O. 3716/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be, substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Bengal Fine Spinning and Weaving Mills Ltd., (No. 1 & 2) at Konnagar (Dist. Hooghly) and Katagunj (Dist. Nadia), for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subrahmanyam, "Sri Sai", 40, Pois Garden, Madras-6.

Members

2. Shri A. Mukherjee, Assistant Professor of Spinning College of Textile Technology, Serampore, Hooghly.
3. Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation Ltd.

4. Shri V. V. S. Sastry, Jt. Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.
5. Shri A. K. Ghosh, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, "Narayani" building, 27, Brabourne Road, Calcutta.

Member-Secretary

6. Shri R. K. Rakshit, Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay.

[No. F. 9(23)/Lic. Pol./70.]

का० आ० 3716.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, (सं० 1 तथा 2), कोन नगर (जिला हुगली) तथा काट गंज (जिला नाडिया), नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम,
"श्री साई" 40 पाइप्स गार्डन,
मद्रास–6।

सदस्य

2. श्री ए० मुखर्जी, स्पिनिंग कालिज आफ टैक्सटाइल टैक्नोलोजी, सेरमपुर, हुगली के सहायक प्राध्यापक।
3. श्री एम० जी० मीरचन्दानी, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली।
4. श्री वी० वी० एस० शास्त्री, संयुक्त निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली।
5. श्री ए० के० घोष, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, समवाय विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, 'नारायणी' बिल्डिंग, 27, ब्रबोर्न रोड, कलकत्ता।

सदस्य सचिव

6. श्री आर० के० रक्षित, निदेशक, वस्त्रायुक्त का कार्यालय, बम्बई।

[सं० फा० 9(23)/लिक० पोल० 70]

S.O. 3717/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertakings known as Bengal Textile Mills Ltd., Cosimbazar and Manindra Mills Ltd., Cosimbazar, West Bengal, for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri C. A. Subrahmanyam, "Sri Sai", 40, Pois Garden, Madras-6.

Members

2. Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation.
3. Shri V. V. S. Sastry, Joint Director (Finance), National Textile Corporation.
4. Shri A. N. Banerjee, Power Loom Adviser of the Directorate of Cotton and Small Scale Industries, West Bengal, Calcutta.
5. Shri A. K. Ghosh, Senior Accounts Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

Member-Secretary

6. Shri B. D. Mukherjee, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F. 9(24)/Lic.Pol./70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

का०आ० 3717.—अतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लि०, कासिम बाजार तथा मनिन्द्रा मिल्स लि०, कासिम बाजार, पश्चिम बंगाल नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम,
"श्री साई", 40 पाइस गार्डन,
मद्रास-6 ।

सदस्य

2. श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी),
राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
3. श्री वी० वी० एस० शास्त्री, संयुक्त निदेशक (वित्त),
राष्ट्रीय वस्त्र निगम ।
4. श्री ए० एन० बनर्जी,
कुटीर तथा लघु उद्योग, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के शक्ति चालित करघा सलाहकार ।

5. श्री ए० के० घोष, वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
समवाय विधि बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय,
कलकत्ता।

सदस्य सचिव

6. श्री बी० डी० मुखर्जी, उप-निदेशक,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई-20।

[सं० फा० 9(24)/लिक० पोल० 70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970